

अनुबंध-II क

**दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण से संबंधित वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे
तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा**

अवलोकन**1. परिचालन निष्पादन यातायात (नौभार उपस्कर उपयोग सहित)**

वर्ष 2022-23 के दौरान यातायात में 8.23 % की वृद्धि दर्ज की गई। पोर्ट ने वर्ष 2021-22 के दौरान 137.56 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 127.10 मिलियन टन नौभार संभाला। कंडला तथा वाडीनार संबंधी यातायात नीचे सारणीबद्ध है:-

(मिलियन टनों में)

विवरण	वास्तविक आँकड़े 2022-23	वास्तविक आँकड़े 2021-22
कंडला में आयात	41.78	34.83
कंडला में निर्यात	24.73	20.90
कंडला में कुल	66.51	55.73
वाडीनार में आयात	44.92	42.16
वाडीनार में निर्यात	9.95	11.28
वाडीनार में कुल	54.87	53.44
बीओटी पर आयात	9.05	9.31
बीओटी पर निर्यात	7.11	7.00
बीओटी पर कुल	16.16	16.31
यानान्तरण	0.02	1.62
कुलयोग	137.56	127.10

उपस्करों की उपलब्धता और उपयोग के ब्यौरे निम्नवत् सारणीबद्ध हैं :-

1. उपस्करों की उपलब्धता :

क्रम सं.	उपस्करों के नाम	वास्तविक आँकड़े 2022-23		वास्तविक आँकड़े 2021-22	
		उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग
1	भरणघाट क्रेन	99.15%	49.45%	97.08%	21.80%
2	चल हार्बर क्रेन	71.65%	45.82%	72.07%	36.12%
3	फोर्कलिफ्ट ट्रक	---	---	---	---
4	इस्पाती प्लावी शुष्क गोदी	100.00%	91.60%	100.00%	93.83%
5	कर्षनौका	100%	20.45%	85.60%	12.71%
6	लॉच	82.88%	14.47%	76.36%	11.32%

2. वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित सारणी पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति दर्शाती है।

(रु करोड़ में)

क.	देयताएँ	2022-23	2021-22
अ)	पूँजीगत आरक्षित	3852.34	3292.67
आ)	राजस्व आरक्षित	3864.89	3334.82
इ)	पूँजीगत ऋण	0.00	0.00
	एफडीआर पर सुरक्षित ऋण निधि	0.00	0.00
ई)	चालू देयताएं तथा प्रावधान	5257.86	4013.39
	कुल देयताएं	12975.09	10640.88
ख.	परिसंपत्तियां		
अ)	स्थायी परिसंपत्तियां- घटाएं: मूल्यह्रास	2418.37	2285.99
आ)	चालू पूँजीगत कार्य	1107.27	745.98
इ)	निवेश	906.45	2399.31
ई)	चालू परिसंपत्तियां	8459.41	5121.27
	कुल परिसंपत्तियां	12891.50	10552.56
ग.	कार्यशील पूँजी	3201.55	1107.89
घ.	नियोजित पूँजी	5619.92	3393.88
च.	शुद्ध संपत्ति मूल्य	7717.23	6627.49
छ.	नियोजित पूँजी पर आर ओ आर	25.45%	16.28%
ज.	परिचालन अनुपात	36.34%	41.39%

3. पूंजीगत व्यय :-

वहन किए गए पूंजीगत व्यय नीचे दर्शाए गए हैं :-

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक आँकड़े 2022-23	वास्तविक आँकड़े 2021-22
1	घाट का निर्माण/सुदृढीकरण	171.03	161.52
2	जलयान /उपस्कर की खरीदारी	0.00	0.00
3	रेल तथा सड़क संयोजन	129.32	147.47
4	हरित ऊर्जा परियोजना	0.00	0.00
5	स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट सिटी	6.62	7.19
6	रो-रो/रो-पैक्स परियोजनाएं	40.16	67.83
7	सागरमाला योजनाएँ	34.97	0.00
8	5 करोड़ से अधिक के अन्य कार्य	265.18	137.89
9	रु. 5 करोड़ तक के अन्य कार्य	23.71	37.51
	कुल	670.99	559.41

कुल पूंजीगत व्यय को पोर्ट के आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित किया गया है

4. योजनागत कार्य

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख योजनाओं में हुआ व्यय निम्नवत् है :-

क्र. सं.	विवरण	राशि करोड़ में
1	8वें तेल घाट का निर्माण ।	50.89
2	तेल जेटी क्षेत्र में मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क के आधुनिकीकरण के माध्यम से तरल कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 8 एमएमटीपीए से 10 एमएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए - कंडला में तेल घाट क्षेत्र में पाइपलाइन नेटवर्क के प्रतिस्थापन और पुनरुद्धार को "दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कंडला के तेल घाट पर मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क के पुनरुद्धार द्वारा तरल कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि" नाम दिया गया है।	79.43
3	तेल जेटी 8 के बैकअप क्षेत्र के विकास (चरण-I) का नाम बदलकर "तेल जेटी नंबर 8 से 11 के बैकअप क्षेत्र का विकास (चरण-I)" कर दिया गया है।	15.33
4	पश्चिमी गेट-I के जंक्शन से पश्चिमी गेट-II तक के क्षेत्र का विकास - अब इसका नाम बदलकर "पश्चिमी गेट 1 और 2 के जंक्शन और रेलवे लाइन से 12वें बर्थ-I तक सड़क के पश्चिम की ओर भूमि का विकास चरण-1" कर दिया गया है।	21.03
5	मौजूदा कार्गो बर्थ सं. 8 की रेट्रोफिटिंग का नाम बदलकर "मौजूदा कार्गो बर्थ सं. 8 और 9 की रेट्रोफिटिंग" किया गया।	46.31
6	नौभार घाट क्षेत्र के अंदर 34 हेक्टेयर क्षेत्र में भूखंडों, सड़कों और एसडब्ल्यूडी का विकास।	28.49
7	पुराना कंडला में तेल जेटी संख्या 7 का निर्माण	52.43
8	कार्गो जेटी क्षेत्र के अंदर गुंबद के आकार के भंडारण शेड का निर्माण	34.32
9	कच्छ साल्ट में रेलवे लाइन पर पुल का निर्माण	111.53
10	34 हेक्टेयर कोयला यार्ड में कोयले की धूल अधिशोषण के लिए छिड़काव प्रणाली	13.22
11	08 त्वरित रिलीज मूरिंग हुक (क्यूआरएमएच) का डिजाइन, आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण, प्रवर्तन; जहाज प्रवेश गैंगवे; ओआईएसडी-156 के अनुसार अग्निशमन सुविधाएं; डीपीए के तेल जेटी नंबर 07 पर पांच वर्षों के लिए प्रत्येक प्रणाली का अलग-अलग संचालन और अनुरक्षण शामिल है।	13.58

5 कर्मचारियों की संख्या/मा.सं.वि.:-

कर्मचारियों की संख्या और उसकी लागत के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	श्रेणी - I	73	74
2	श्रेणी- II	49	51
3	श्रेणी- III	802	875
4	श्रेणी- IV	429	470
5	तटीय कामगार	55	63
5	गोदी श्रमिक	305	320
	कुल संख्या	1713	1853
	कर्मचारियों की लागत करोड़ में	268.73	253.75

6. उत्पादकता

क. कार्यक्षमता पैरामीटर:

i) औसत जलयान घाट दिवस उत्पादन: (टनों में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	2022-23	2021-22
1.	तरल बल्क	27948	27541
2.	शुष्क बल्क	14230	13813
3.	ब्रेक बल्क	4051	3753
4.	कंटेनर	15231	18842
5.	समग्र	16074	15501

ii) घाट पर जलयानों के कुल ठहराव के प्रतिशत के अनुसार घाट पर समय निष्क्रिय समय (सभी जलयान)

क्रम सं.	प्रवर्ग	2022-23	2021-22
1.	समग्र	20%	18%

iii) जलयानों के घाट पर लगने से पूर्व औसत अवरोध (दिनों में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	2022-23	2021-22
1	<u>तरल बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	1.06	0.93
	पोर्टेत्तर कारण	0.85	1.37
2	<u>शुष्क बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	1.91	0.46
	पोर्टेत्तर कारण	0.56	1.20
3	<u>ब्रेक बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	3.76	1.36
	पोर्टेत्तर कारण	1.04	2.76
4	<u>कंटेनर</u>		
	पोर्ट के कारण	0.22	0.22
	पोर्टेत्तर कारण	0.78	0.73
5	<u>समग्र</u>		
	पोर्ट के कारण	1.55	0.82
	पोर्टेत्तर कारण	0.79	1.48

(iv) जलयानों का औसत आवागमन समय (दिनों में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	2022-23	2021-22
1	<u>तरल बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	2.82	2.58
	पोर्टेत्तर कारण	0.15	1.54
2	<u>शुष्क बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	4.13	4.33
	पोर्टेत्तर कारण	0.19	0.81
3	<u>ब्रेक बल्क</u>		
	पोर्ट के कारण	8.21	6.54
	पोर्टेत्तर कारण	0.38	2.89
4	<u>कंटेनर</u>		
	पोर्ट के कारण	2.38	1.66
	पोर्टेत्तर कारण	0.13	0.78
5	<u>समग्र</u>		
	पोर्ट के कारण	3.82	3.44
	पोर्टेत्तर कारण	0.19	1.53

7. औद्योगिक संबंध:-

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण बना रहा तथा ट्रेड यूनियन के सहयोग से वर्ष 2022-23 के दौरान कोई हड़ताल नहीं की गई और औद्योगिक विवादों को निपटाया/बंद किया गया।

8. कल्याणकारी क्रियाकलाप :-

विभिन्न कल्याणकारी क्रियाकलापों पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् प्रस्तुत है :-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	चिकित्सा संबंधी वित्तीय सहायता	13.27	-
2	खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम	41.84	2.27
3	खिलाड़ियों को आहार भत्ता	0.372	-
4	गणतंत्र दिवस समारोह और पुरस्कार इत्यादि	0.44	0.13
5	महिला प्रकोष्ठ संबंधित व्यय	1.23	0.04
6	धार्मिक/राष्ट्रीय त्यौहारों का मनाया जाना	20.90	12.67
7	छात्रवृत्ति	6.07	3.90
8	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति -चिह्न	5.12	7.75
9	परिवार संरक्षा योजना (अंत्येष्टि)	4.80	9.00
10	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण अ.जा./अ.ज.जा.संघ/अंबेडकर जयंती	1.81	-
11	विभिन्न दिवसों का आयोजन	9.55	4.41
12	आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम	2.33	11.05
13	अन्य (चयन परीक्षण और योग व्यय)	0.433	0.26

9. दुर्घटनाएं/ संरक्षा उपाय:-

2022-23 के दौरान कार्यान्वित/अपनाए गए संरक्षा उपाय:

- ✓ डीपीए को व्यावसायिक संरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय संरक्षा परिषद द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह मार्च 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था।
- ✓ त्रैमासिक गोदी संरक्षा समिति की बैठक की गई।
- ✓ तेल उद्योग संरक्षा निदेशालय द्वारा अगस्त 2022 में पीओएल (ज्वलनशील पदार्थ) के लिए और भारतीय राष्ट्रीय संरक्षा परिषद द्वारा जुलाई 2023 में गैर-ज्वलनशील पदार्थों के लिए डीपीए का बाह्य संरक्षा लेखापरीक्षा किया गया।
- ✓ महापत्तनों के संरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में केपीआई के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
- ✓ एमआईवी 2030 के केपीआई का कार्यान्वयन किया गया।
- ✓ गोदी संरक्षा निरीक्षणालय के साथ समन्वय कर सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया।
- ✓ संरक्षा अभियान: संरक्षा संस्कृति के निर्माण के लिए कर्मचारियों की भागीदारी के लिए गोदी संरक्षा सप्ताह मनाना गया।
- ✓ गोदी कामगार (संरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम 1990 के विनियम 76 के अनुसार जोखिमयुक्त समानों के लिए अधिसूचना
- ✓ पोर्ट का संरक्षा निरीक्षण किया गया।
- ✓ पिछले वर्षों की तुलना में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- ✓ संरक्षा गतिविधियों की निगरानी के लिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।
- ✓ संरक्षा और उत्पादकता री-इंजीनियरिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र और पश्चिमी गेट-1 पर कंटेनर आधारित प्रशिक्षण केंद्र , व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी कामकाज किया गया।
- ✓ संरक्षा मैनुअल तैयार किया गया।

- ✓ जहाज बंकरिंग दिशानिर्देशों का विकास किया गया।
- ✓ तेल घाट में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और आंतरिक रूप से सुरक्षित वॉकी-टॉकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परिपत्र जारी किया।
- ✓ संरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'सेफ्टी चैंपियन ऑफ द मंथ' योजना की प्रक्रिया के लिए परिपत्र जारी किया गया।
- ✓ जोखिमयुक्त घटनाओं को रोकने के लिए पोर्ट उपयोगकर्ताओं को संरक्षा सलाह दी गई।
- ✓ यातायात संरक्षा प्रबंधन की पॉकेट बुकलेट का विकास किया गया।

1) संरक्षा प्रभाग का सुदृढीकरण:

संरक्षा प्रणाली विकसित करने एवं लागू करने के लिए तथा पोर्ट के अंदर दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी के लिए संरक्षा टीम को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डीपीए प्रबंधन ने गहरी रुचि ली है और पोर्ट के अंदर दिन-प्रतिदिन की संरक्षा गतिविधियों की निगरानी के लिए संविदा पर कुल 5 संरक्षा पर्यवेक्षकों और 39 यातायात वार्डन लगाए गए हैं। यह पहली बार हुआ है कि इस तरह की पहल भारत के सभी महापत्तनों के बीच डीपीए द्वारा की गई है। उन्होंने पोर्ट के अंदर संरक्षा मानकों जैसे संरक्षा निरीक्षण करना, वर्क परमिट प्रणाली की जांच, असुरक्षित कार्य/असुरक्षित स्थितियों की पहचान करना, यातायात संरक्षा प्रबंधन, पीपीई अनुपालन, जीवनरक्षक नियम और अन्य संरक्षा नियमों के कार्यान्वयन आदि जैसे संरक्षा मानकों को लागू करने में मदद की है।



2) संरक्षा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:

संरक्षा के क्षेत्र में किसी भी संगठन की सफलता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पोर्ट के अंदर कोई भी कार्य करते समय सभी कार्मिकों को संरक्षा प्रक्रिया और नियमों की जानकारी तथा जागरूकता हो। श्रमिकों के बीच ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के लिए, डीपीए ने व्यूअर्स गैलरी, दूसरी मंजिल- कंडला में "संरक्षा और उत्पादकता पुनः इंजीनियरिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र" बनाया है। प्रशिक्षण केंद्र को संचालित करने के लिए एक संरक्षा प्रशिक्षक और दो सहायक संरक्षा प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है। नवंबर 2021 से प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है और अब तक 5800 से अधिक कार्मिकों को शामिल किया जा चुका है।

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कार्मिकों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएँ हैं। सड़क पर लोगों की मृत्यु कई कारणों से होती है जिनमें से एक प्रमुख कारण ड्राइवर द्वारा असावधानीपूर्ण तरीके से वाहन चलाना है। पोर्ट एक ऐसी जगह है, जहाँ पोर्ट संचालन के लिए प्रतिदिन हजारों वाहन आते हैं। इसलिए पोर्ट पर आने वाले ट्रक ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए डीपीए ने पश्चिमी गेट-1 पर कंटेनर आधारित संरक्षा प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया है। प्रशिक्षण केंद्र दैनिक आधार पर चलाया जाता है। जीवन रक्षक नियम, ड्राइवर संरक्षा नियम, रक्षात्मक ड्राइविंग संरक्षा नियम, सांविधिक आवश्यकताएं, असुरक्षित स्थितियां, असुरक्षित कृत्य, पिछले वर्षों में पोर्ट के अंदर हुई दुर्घटनाएं, नियमों के उल्लंघन पर दंड प्रावधान आदि पर 15 मिनट की एक लघु फिल्म तैयार की गई है। नवंबर 2020 से प्रशिक्षण केंद्र में 1,00,519 से अधिक ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों को जागरूक किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र के विकास के बाद सड़क दुर्घटनाओं की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

डीपीए व्यावहारिक ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए ट्रक ड्राइवरों, उपकरण ऑपरेटरों, क्रेन ऑपरेटरों आदि के लिए एक सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की भी योजना बना रहा है।

संरक्षा और उत्पादकता पुनः इंजीनियरिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र, व्यूअर्स गैलरी, नया कंडला:



ट्रक ड्राइवरों के लिए पश्चिमी गेट-1 पर कंटेनर आधारित संरक्षा प्रशिक्षण केंद्र:



3) संरक्षा अभियान:

राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह उत्सव 2022-23: संरक्षा संस्कृति के निर्माण के लिए पोर्ट के अंदर काम करने वाले सभी कार्मिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डीपीए द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह मनाया गया। पिछले चार दशकों से राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, भारत द्वारा संरक्षा दिवस (4 मार्च)/संरक्षा सप्ताह अभियान का नेतृत्व किया जा रहा है। इस अभियान ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से श्रमिकों के बीच संरक्षा जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद की है। राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह समारोह 2022-23 में की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- गोदी संरक्षा सप्ताह उत्सव 2023 का उद्घाटन समारोह
- पीपीई और संरक्षा उपकरणों का जीवंत प्रदर्शन
- "मास्कोट द्वारा सड़क संरक्षा संदेश" दृश्य जागरूकता के माध्यम से संरक्षा संदेश देना
- बाह्य प्रशिक्षण: श्री अमित खत्री (सड़क संरक्षा प्रशिक्षण के विशेषज्ञ) द्वारा "रक्षात्मक ड्राइविंग"
- संरक्षा पहलुओं पर मॉडल बनाने की प्रतियोगिता (विषय: "हमारा लक्ष्य-शून्य हानि")
- संरक्षा पोस्टर, संरक्षा नारा और संरक्षा कविता प्रतियोगिताएँ:
- "हमारा उद्देश्य-शून्य हानि" पर संरक्षा फिल्म शो (पोर्ट में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन द्वारा वाहन पर संरक्षा फिल्म का प्रदर्शन)
- समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण





4) संरक्षा समिति की बैठक (संरक्षा बढ़ाने के लिए प्रबंधन समीक्षा):

गोदी संरक्षा समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती है और कार्य योजना के लिए दृढ़ रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। गोदी संरक्षा समिति की बैठक के प्रमुख परिणाम नीचे दिए गए हैं, जिनसे पोर्ट की समय संरक्षा को बढ़ाने में मदद मिली है:

- पोर्ट के अंदर प्रकाश एवं रोशनी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सभी सामान्य ल्यूमिनरीज को एलईडी फिटिंग से बदल दिया गया है और आवश्यक स्थानों पर नए हाई मास्ट टावर भी स्थापित किए गए हैं।
- उत्पादकता और संरक्षा बढ़ाने के लिए तेल जेटी उत्पाद पाइपलाइनों का पुनरुद्धार किया गया।
- तेल घाट पर ओआईएसडी-156 मानक के अनुसार उन्नत अग्निशमन प्रणाली की स्थापना की गई।
- पुराने शुष्क नौभार घाट का नवीनीकरण किया गया।
- सड़कों का विकास/नवीनीकरण किया जा रहा है।
- पुराने गोदामों को ध्वस्त और नए गोदामों का निर्माण किया गया।
- नई जल निकासी व्यवस्था का विकास किया जा रहा है।
- पोर्ट के अंदर श्रमिक कल्याण सुविधा का विकास यानी नए टॉयलेट ब्लॉक, पेयजल स्थान, विश्राम गृह, नई मोबाइल रेकडीज़, कैंटीन आदि विकसित किए गए हैं।
- कोयले और अन्य धूल की रोकथाम के लिए 2 वाटर कैनन मशीन, 2 रोड स्वीपर मशीन खरीदी गई तथा 34 हेक्टेयर क्षेत्र में जल छिड़काव प्रणाली की स्थापना की गई।

- धूल निगरानी के लिए बाह्य कंस्टेंट के माध्यम से एसपीएम स्तर की निगरानी सर्वेक्षण आयोजित किया गया।
- बाहरी एजेंसी द्वारा संरचना स्थिरता सर्वेक्षण आयोजित किया गया। कार्मिकों की संरक्षा के लिए पी एंड सी भवन खाली कराया गया।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर संरक्षा साइन बोर्ड लगाए गए।
- विद्युत संरक्षा लेखापरीक्षा और नौसंचलन संरक्षा लेखापरीक्षा किया गया।
- तेल घाट पर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और आंतरिक रूप से सुरक्षित वॉकी-टॉकी और मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परिपत्र जारी किया गया।
- सीसीटीवी और आरएफआईडी का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- आंतरिक ई-बस सेवाओं के कार्यान्वयन की योजना प्रगति पर है। इससे पोर्ट के अंदर 2-पहिया और 3-पहिया वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

5) व्यावसायिक स्वास्थ्य सुविधाएं:

- पोर्ट अस्पताल कंडला में दैनिक आधार पर सभी श्रमिकों की चिकित्सा जांच की जाती है। नवंबर 2021 से 3812 से अधिक कार्मिकों की चिकित्सकीय जांच की गई है।
- पोर्ट के अंदर 24X7 के लिए 3 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र शुरू किए गए हैं। तेल जेटी परिसर में तेल जेटी की स्थापना के बाद पहली बार पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है।
- प्राथमिक चिकित्सा के 30 बक्से पोर्ट परिसर के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किए गए।
- प्रत्येक बुधवार को "धन्वन्तरि आरोग्य रथ" पोर्ट के विभिन्न स्थानों पर चलता है और श्रमिकों के लिए विशेष चिकित्सा जांच की जाती है। इस विशेष चिकित्सा अभियान के दौरान अब तक कुल 3524-ओपीडी और 436-लैब परीक्षण किए गए हैं।

6) जोखिमयुक्त सामान के लिए अधिसूचना: विनियम 76:

गोदी कामगार (संरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 के अनुसार, खतरनाक सामान के लिए अधिसूचना: विनियम 76, पोर्ट पर खतरनाक सामान को संभालने के दौरान सख्ती से संकलित किया जाता है। तेल घाट क्षेत्र में खतरनाक माल की लोडिंग/डिस्चार्जिंग के दौरान गोदी कार्मिकों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा से संबंधित दस्तावेजों की पूर्व जांच की प्रक्रिया अनिवार्य है। इन दिशानिर्देशों का सभी पोर्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। जहाज के एजेंट और जहाज के मास्टर को तेल घाट पर कार्गो की लोडिंग/डिस्चार्जिंग शुरू करने के लिए संरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

7) डीपीए का संरक्षा प्रदर्शन टेम्पलेट (महापत्तनों के संरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में संबोधित केपीआई का कार्यान्वयन):

महापत्तनों के संरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में केपीआई के कार्यान्वयन के लिए कुल 150 परिभाषित कार्रवाई मदों का उल्लेख किया गया है।

प्रमुख वस्तुओं के लिए परिभाषित और मॉनिटर किए गए संरक्षा टेम्पलेट इस प्रकार हैं:

1) सामान्य संरक्षा टेम्पलेट

- दृश्यमान प्रतिबद्धताएँ
- नियामक अनुपालन
- लेखापरीक्षा
- आवधिक जोखिम मूल्यांकन
- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
- प्रशिक्षण
- घटना की जांच एवं रिपोर्टिंग
- मानव संसाधन

- 2) यांत्रिक
- 3) सड़क यातायात
- 4) रेल यातायात
- 5) नौसंचालन संरक्षा
- 6) सामग्री प्रबंधन/भंडारण
- 7) प्रकाश और विद्युत
- 8) सिविल
- 9) आपदा प्रबंधन

8) एमआईवी 2030 के केपीआई का कार्यान्वयन:

एमआईवी 2030 के केपीआई के कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए/प्रगतिधीन संरक्षा उपाय:

- 1) संरक्षा और उत्पादकता पुनः इंजीनियरिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र का विकास।
- 2) पोर्ट के अंदर संरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करके संरक्षा प्रभाग/संरक्षा प्रबंधन कक्ष को मजबूत करना।
- 3) ब्यूएचएसई नीति का गठन एवं कार्यान्वयन
- 4) व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा (ओएच एंड एस) की प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ45001:2018 मानक प्रमाणन।
- 5) सड़क मार्ग से गुजरने वाले ट्रक चालकों के लिए कंटेनर आधारित संरक्षा प्रशिक्षण केंद्र।
- 6) उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत क्रेन/उपकरण/ट्रक आदि के लिए सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना।

9) घातक/गैर-घातक/खतरनाक घटनाओं की घटना की रिपोर्टिंग और घटना की जांच। अवांछनीय घटना से बचने के लिए संरक्षा उपाय अपनाने के लिए विभिन्न विभागों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं को सलाह जारी करना।

10) नौभार जेटी, तेल जेटी क्षेत्र, गोदाम और खुले भूखंडों आदि का संरक्षा निरीक्षण।

10. पर्यावरण संरक्षण:-

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई हैं:

पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी संयंत्र (ईएमएमपी) की तैयारी:-

डीपीए ने तीन साल की अवधि के लिए विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु कार्य आदेश संख्या ईजी/डब्ल्यूके/ईएमसी/1023/2011/III/239 दिनांक 15/02/2023 के अनुसार मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर को पर्यावरण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इसके तहत मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर ने मार्च 2023 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन तथा निगरानी योजना तैयार की है।

डीपीए ने तीन साल की अवधि के लिए पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु कार्य आदेश संख्या ईजी/डब्ल्यूके/4751/हजीरा और घोघा/285 दिनांक 18/04/2023 के अनुसार मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर को पर्यावरण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इसके तहत मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर ने जून 2023 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना तैयार की है।

पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के लिए:

डीपीए ने तीन साल की अवधि के लिए विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु कार्य आदेश संख्या ईजी/डब्ल्यूके/ईएमसी/1023/2011/III/239 दिनांक 15/02/2023 के अनुसार मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर को पर्यावरण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इसके तहत मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर ने मार्च 2023 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन तथा निगरानी योजना तैयार की है।

डीपीए ने तीन साल की अवधि के लिए पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु कार्य आदेश संख्या ईजी/डब्ल्यूके/4751/हजीरा और घोघा/285 दिनांक 18/04/2023 के अनुसार मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर को पर्यावरण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इसके तहत मैसर्स गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (जीईएमआई), गांधीनगर ने जून 2023 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना तैयार की है।

समुद्री जल, पेयजल, एसटीपी के लिए उपकरण:

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	पीएच मीटर - हैंडी मेक हाना	01
2	पीएच मीटर-बीच टॉप मेक तोशनीवाल	01
3	टर्बिडिटी मीटर टेबल टाइप मेक लैबट्रॉनिक्स	01
4	कॉलोनी काउंटर टेबल टाइप मेक लैबट्रॉनिक्स	01
5	कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर मेक ओलंपस	01
6	फिल्टरेशन असेंबली ग्लास मेक जे-सिल	01
7	सीओडी रिएक्टर सहित 15 ग्लास वेयर सेट मेक बीटीआई	01
8	हैंडी टीडीएस मीटर	01
9	कंडक्टिविटी मीटर टाइप टेबल मेक लैबट्रॉनिक्स	01
10	वैक्यूम पंप	02
11	सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हीटिंग मेटल टाइप (6 पैकेट)	01
12	थर्मामीटर (0 to 110)	01
13	थर्मामीटर (0 to 350)	01
14	हैंडी कंडक्टिविटी मीटर	01
15	निस्किन सैंपलर	01

उपकरण परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी निगरानी :-

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	मरम्मत योग्य इस्ट सैंपलर	08
2	बारीक पार्टिकुलेट सैंपलर	08

मिट्टी/तलछट और ध्वनि संबंधी निगरानी हेतु उपकरण :-

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	ग्रैब सैंपलर	01
2	ध्वनि मीटर	02

मौसम केंद्र हेतु उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	स्वचालित मौसम केंद्र	02

धूल दमन प्रणाली प्राप्त करने हेतु:

धूल प्रदूषण को रोकने के लिए डीपीए ने कोयला यार्ड क्षेत्र में जल छिड़काव प्रणाली स्थापित की है। बल्क कार्गो जैसे उर्वरक, कोयला, सल्फर, आदि से धूल को नियंत्रित करने के लिए, पोर्ट-उपयोगकर्ताओं को जहाजों से निर्वहन के दौरान हॉपर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सीवेज/अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र/कचरा निपटान संयंत्र की स्थापना के लिए:

- 1) पोर्ट क्षेत्र और पोर्ट कॉलोनीयों में उत्पन्न सीवेज का कंडला में पोर्ट क्षेत्र के बाहर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गोपालपुरी में पोर्ट कॉलोनी के माध्यम से समुचित उपचार किया जा रहा है।
- 2) दीनदयाल पोर्ट ने जोखिमयुक्त अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियमों के अनुसार जोखिमयुक्त अपशिष्ट (जहाजों से उपयुक्त/प्रयुक्त तेल) के निपटान हेतु सीपीसीबी/जीपीसीबी अधिकृत एजेंसियों को लगाया है।

पौधरोपण हेतु :-

- दीनदयाल पोर्ट ने अगस्त 2019 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली 31.942 हेक्टेयर भूमि में ग्रीन बेल्ट विकास के लिए गुजरात वन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कच्छ के सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा पहले ही पौधरोपण किया जा चुका है।
- डीपीए ने 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव लगाए। इसके अलावा, मैसर्स इफको (100 हेक्टेयर) और मैसर्स एकेबीटीपीएल (250 हेक्टेयर) ने 350 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में मैंग्रोव का वृक्षारोपण किया जो डीपीए द्वारा प्रदान किया गया है (अर्थात् कुल 1950 हेक्टेयर मैंग्रोव वृक्षारोपण) डीपीए की भूमि पर किया गया है।
- डीपीटी ने "ग्रीन पोर्ट पहल के तहत दीनदयाल पोर्ट को ग्रीन पोर्ट बनाने के इरादे का सतत विकास" कार्य के लिए मैसर्स जीईएमआई, गांधीनगर को नियुक्त किया है। मैसर्स जीईएमआई, गांधीनगर ने 10/03/2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- डीपीए ने दिनांक 31/05/2023 के कार्य आदेश के तहत गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी (गाइड), भुज को "दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और इसके आसपास के क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट विकसित करने का काम (चरण I) सौंपा है।
- डीपीए ने उपयुक्त प्रजातियों के 10000 पौधों के रोपण के लिए दिनांक 23/06/2023 के कार्य आदेश के तहत गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी (गाइड), भुज को डीपीए और इसके आसपास के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने का काम (चरण II) सौंपा है।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं की स्थापना:

पोर्ट ने 20.7 मेगावाट (10 पवन टरबाइन जनरेटर) पवन-फर्म को ₹.91.54 करोड़ की पूंजीगत लागत पर स्थापित किया है। 10 डब्ल्यूटीजी में से 5 डब्ल्यूटीजी का उपयोग कैप्टिव खपत के लिए किया जा रहा है और शेष 5 डब्ल्यूटीजी को तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।

हार्बर वाटर्स की गुणवत्ता में सुधार:-

जीपीसीबी ने बंदरगाह के विनिर्देशों को पूरा किया है और बंदरगाह के पानी की सफाई सहित सुधार-कार्य किया है।

समुद्र के लगभग सभी प्रकार के कूड़ा-करकट के निस्तारण पर रोक :-

डीपीटी में मारपोल 73/78 के सभी विनियम लागू किए गए हैं।

आईएमओ के दिशानिर्देशों और संकल्प के अनुसार जहाजों में पर्याप्त स्वागत संबंधी सुविधाओं का प्रावधान :-

संग्रह परिवहन और कीचड़, तेल अपशिष्ट, कचरा आदि का सुरक्षित निपटान विभिन्न ठेकेदारों को दिया जाता है जिन्हें जीपीसीबी द्वारा लाइसेंस दिया गया है। ये लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर कीचड़, तेल अपशिष्ट, कचरा आदि एकत्र करते हैं और उन्हें अधिसूचित निपटान यार्ड/सुविधाओं में ले जाते हैं और उनका उचित निपटान करते हैं। उसके पश्चात सुरक्षित निपटान के संबंध में जीपीसीबी और "स्वच्छ सागर पोर्टल" पर सूचना दी जाती है।

उल्लेखनीय घटनाएँ/सामान्य:-

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों हेतु प्रमाणित है।

(क) नौभार का प्रहस्तन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीपीए की उपलब्धियाँ/महत्वपूर्ण घटनाएँ:

- भारत के सभी महापत्तनों के बीच नौभार प्रहस्तन में डीपीटी लगातार 16वें वर्ष नंबर 1 स्थान पर रहा।
- वित्तीय वर्ष में 137.56 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड कार्गो संभाला, जो देश के इतिहास में किसी भी महापत्तन द्वारा संभाले गए नौभार से सबसे अधिक है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 3360 जहाजों को संभाला गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तूना टेकरा में डीपीए के कंटेनर टर्मिनल और बहुउद्देशीय नौभार घाट की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके ड्राफ्ट 14 मीटर से अधिक होंगे तथा कंटेनर टर्मिनल पर 6000 से अधिक टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाला जाएगा।
- रु. 280 करोड़ लागत के नए गुंबद आकार के गोदामों का निर्माण किया जाएगा तथा प्रतीक्षा और टर्न अराउंड समय को कम करने तथा पोर्ट पर आउटपुट और अन्य दक्षता मापदंडों में सुधार करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे भंडारण क्षमता 1.45 लाख मीट्रिक टन बढ़ जायेगी।
- रु. 99 करोड़ की लागत पर तेल जेटी नं. 8 का निर्माण, जिससे बंदरगाह की इष्टतम क्षमता 3.50 एमएमटीपीए बढ़ जाएगी।
- रु. 126.50 करोड़ की लागत पर मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का आधुनिकीकरण, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार होकर इष्टतम क्षमता 8 से बढ़कर 23.80 एमएमटीपीए हो जाएगी।
- 14.20 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाज बेलेमर को 76610 मीट्रिक टन कच्ची चीनी के साथ सीधे नौभार घाट-16 पर संभाला गया ।

(ख) नीतिगत मोर्चा :

बर्थिंग नीति में नियमित रूप से परिवर्तन और प्रतिमानकों का वार्षिक संशोधन होता है । नीतिगत मोर्चे पर कोई अन्य परिवर्तन या महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है